संख्या- 197 /2022/2495 /चार-2022

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ।

संस्कृति अनुभागः लखनऊः दिनांक 15 नवम्बर, 2022

विषय- दिनांक 17 से 19 नवम्बर, 2022 के मध्य राज्य संग्रहालय, लखनऊ द्वारा भारतीय मुद्रा परिषद के 104 वें वार्षिक सम्मेलन आयोजन पर होने वाले व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

पया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1122/उ0प्र0सं0नि0-2(2)/2000-।।, दिनांक 07 नवम्बर, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार दिनांक 17 से 19 नवम्बर, 2022 के मध्य राज्य संग्रहालय, लखनऊ द्वारा भारतीय मुद्रा परिषद के 104 वें वार्षिक सम्मेलन आयोजन पर होने वाले व्यय रू0 6,50,000.00 (रूपये छः लाख पचास हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(**1**)उक्त सम्मेलन से सम्बन्धित प्रिंटिग सम्बन्धी कार्यों का सम्पादन सूचना विभाग, उ0प्र0 तथा अन्य कार्यों/व्यवस्थाओं का सम्पादन सचिवालय प्रशासन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित दरों पर किया जायेगा।

(**2**) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

**(3)**उक्त स्वीकृति धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

**(4)**उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी**,** व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

3- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति-107-संग्रहालय-03-अधिष्ठान व्यय-42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022- 231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(रघुनाथ प्रसाद वर्मा)
अनु सचिव।

संख्या- 197 /2022/2495(1)/चार-2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- आहरण एवं वितरण अधिकारी-सहायक निदेशक, राज्य संग्रहालय, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त(लेखा) अनुभाग-1/वित्त(ई-7) अनुभाग।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(रघुनाथ प्रसाद वर्मा)
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in